पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 276/2017

1. गोपाल पुत्र श्री लाला
2. बद्री पुत्र श्री लाला

समस्त जाति माली, निवासियान– ग्राम रामपुरा बुजुर्ग, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

– अपीलार्थीगण/अपीलान्टस/वादीगण–

बनाम

1. भूरा पुत्र श्री लाला
2. जगदीश पुत्र श्री लाला
3. किशनलाल पुत्र श्री कालूराम
4. रमेश
5. रामस्वरूप — पुत्रान श्री नानगा
6. कमल
7. रामरतन
8. नारायणी पत्नी श्री नानगा

समस्त जाति माली, निवासियान रामपुरा बुजुर्ग, चाकसू, जिला जयपुर।

9. सुशीला देवी पत्नी श्री शंकर लाल गुर्जर, निवासी प्लॉट नं. 16, जवाहर कॉलोनी, जयपुर।
10. कानी देवी पत्नी श्री दामोदर, जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 2 ढाणी चावण्डिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
12. सहीदा बेगम पत्नी मोहम्मद शरीफ खां, निवासी वार्ड नम्बर 3 कस्बा चाकसू, जिला जयपुर।
13. चेयरमैन, जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एजुकेशन सोसाएटी पंजीकृत कार्यालय 3 इस्टीटयूशन एरिया सेक्टर 5 दोहिणी दिल्ली।

–प्रत्यर्थीगण/रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री निर्मल कुमार जैन अपीलांटस की ओर से।

2– श्री विजय कुमार शर्मा रेस्पोडेंटस की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 14.05.2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बखिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 21.04.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू मुकदमा नं. 145/06 जिसके द्वारा वादीगण का वाद खारिज फरमा दिया गया। के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण कें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा का आशय का पेश किया कि ग्राम रामपुरा बुजुर्ग तहसील चाकसू में स्थित खसरा नम्बर 15/952, 15/955,

390, 394, 395, 400, 417, 418, 430, 431, 433, 434, 435, 437, 438, 588, 647, 648, 683, 984, 742, 743, 743/939, 836/938, 849, 850, 851, 852, 853, कुल किता 29 कुल रकबा 6.96 हैक्टै0 तथा खसरा नम्बर 392, 688, 694 कुल किता 3 कुल रकबा 0.88 हैक्टै0 तथा खसरा नम्बर 419, 432, 436 कुल किता 3 कुल रकबा 0.24 हैक्टै0 स्थित हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के पिता लाला की भूमि थी उक्त लाला की उपर्युक्त भूमि से 1/2 हिस्सा अपने पुत्र भूरा के नाम करवाया था जो इन्द्राज भूरा पुत्र लाला ना होकर भूरा पुत्र भोमा दर्ज हो गया वरवक्त इन्द्राज उक्त भूरा प्रतिवादी नम्बर 1 नाबालिग था तथा सारी सम्पति चूंकि लाला जी की ही थी इस कारण इस पर चारों पुत्रों का एक समान हक था क्योंकि भूरा पुत्र भोमा नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं था। उक्त लाला पुत्र श्योनारायण व भूरा पुत्र भोमा दोनों ही नामों की जमीन पर चारों भाई बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे हैं स्वयं भूरा ने भी एक सहमति पत्र दिनांक 24.06.1998 को लिख दिया था कि भूरा पुत्र भोमा के नाम लगी जमीन में सभी भाईयों का बराबर हिस्सा है।लाल जी की मृत्यु होने पर उक्त भूरा पुत्र लाला जी वाली जमीन का तो हक त्याग करवा दिया तथा भूरा पुत्र भोमा नाम वाली जमीन को अब शेष भाईयों के नहीं लगवा रहा है। इस पर वादीगण ने चारों भाईयों के नाम हिस्सा 1/4 लगवाने की घोषणा का दावा प्रस्तुत किया।उभय पक्ष के अभिवचनों पर अधीनस्थ न्यायालय ने निम्न प्रकार तनकिया बनाई:–

तनकी नम्बर 1– आया वादग्रस्त आराजी वर्णित मद नम्बर 1 दावा में दर्ज हिस्सा जो भूरा पुत्र भोमा के नाम दर्ज है वह वादी के पिता की सम्पति है तथा वादी के पिता के समस्त पुत्रों का उस पर समान है है? यह तनकी जिम्मे वादी है।

तनकी नम्बर 2– आया प्रतिवादी ने अपनी स्वीकारोक्ति द्वारा भूरा पुत्र भोमा नाम से दर्ज आराजी को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति माना है। इस कारण प्रतिवादी अपनी स्वीकारोक्ति के विबन्ध (एस्टोपट) है? यह तनकी जिम्मे वादी है।

तनकी नम्बर 3– आया प्रतिवादी नम्बर 1 ने प्रतिवादी नम्बर 12 के हक में जो विक्रय दिनांक 09.01.2007 को किया है वह वादी के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी घोषित किये जाने योग्य है? यह तनकी जिम्मे वादी है।

तनकी नम्बर 4– आया वादी वादग्रस्त आराजी का कब्जे अनुसार तकास्मा करवाने का अधिकारी है? यह तनकी जिम्मे वादी है।

तनकी नम्बर 5– आया वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का अधिकारी है? यह तनकी जिम्मे वादी है।

तनकी नम्बर 6– आया प्रतिवादी नम्बर 1 भोमा का गोद का पुत्र है तथा उसकी 1/2 हिस्से की आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 के विरासत में आई है? यह तनकी जिम्मे प्रतिवादीगण है।

तनकी नम्बर 7– आया प्रतिवादीगण सदभावी क्रेता है उनके पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड

अपील प्राधिकारी

है? यह तनकी जिम्मे प्रतिवादीगण है।

उसके पश्चात् उभय पक्षों की बहस सुनकर समस्त तनकियात वादीगण के खिलाफ तय कर वादीगण का दावा खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय की उपर्युक्त निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व मौखिक साक्ष्यों के विपरीत होने व परर्वश होने के कारण निरस्तनीय है। तनकी नम्बर 1 का निर्णय जिस तरह से किया गया है वह पूर्णतया गलत है वादीगण ने अपने साक्ष्य में सम्वत 2013 व 2017 की जमाबन्दियां व एकीकरण रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत कर यह स्पष्ट कर दिया था कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता लाला की ही थी उक्त भूमि कभी भी भोमा नाम के किसी भी व्यक्ति के नाम नहीं रही है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 भूरा का यह कहना था कि वादग्रस्त भूमि भोमा की थी जो गोद आने के कारण उसे विरासत में मिली है ऐसे में प्रतिवादी संख्या 1 को यह बताना चाहिए था कि भूमि कौनसे साल सम्वत में भोमा की थी तथा कब उसके विरासत में आई किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया ना ही ऐसा कोई रिकॉर्ड है ऐसे में जब वादीगण ने उक्त भूमि लाला की होना सिद्ध कर दिया था तो तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादी के हक में होना चाहिए था इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य हैं। तनकी नं. 2 का जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने किया है वह पूर्णतया गलत है प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं ने दिनांक 14.06.1998 को सहमति पत्र लिखा था ऐसे में धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रतिवादी संख्या 1 उक्त स्वीकारोक्ति से एस्टोप्ड है वादीगण ने अपनी साक्ष्य में उक्त सहमति पत्र को गवाहों से पूर्णतया सिद्ध करवाया है। ऐसे में एस्टोप्ड (विबंध) की तनकी वादीगण के हक में निर्णित होनी चाहिए थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति को मानते हुए इसे इकरारनामें की तरह बताते हुए सहमति की पालना करवाने के लिए सिविल न्यायालय में अधिकारिता होना बताते हुए खारिज कर दी ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय कानून के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 व 7 को वादीगण के खिलाफ गलत रूप से निर्णित किया है। विक्रय पत्र दिनांक 09.01.2007 दौराने दावा स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के स्टे के बावजूद किया गया विक्रय पत्र है जो कानूनन प्रारम्भ से ही शून्य होता है तथा दौराने दावा हुए विक्रय पत्रों पर धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम लागू होती है। माननीय राजस्व मण्डल, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि दौराने दावा व स्टे के बावजदू किये गये विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य होते है। वादीगण का दावा घोषणा खातेदारी का था तथा उक्त विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवाने का अनुतोष आनुषांगिक अनुतोष था तथा ऐसे दावों को सुनने का एकमात्र क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है फिर भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होना कथित कर अधिकारिता ना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

होना बताकर जो इस तनकी को निर्णय किया है वो निरस्त किये जाने योग्य है। तनकी नं. 4 व 5 का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णतया गलत किया है एक रिकॉर्डेड खातेदार को तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है। तनकी नं. 6 को जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने किया है वह बडा विचित्र है। प्रतिवादी नं. 1 को यह साबित करना था कि वह भोमा का गोद पुत्र है तथा उक्त भूमि भोमा की थी। जो प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस तनकी को केवल दो लाईन में ही निर्णित किया है। जिसमें लिखा है कि "प्रतिवादी संख्या 1 ने केवल मौखिक साक्ष्य भोमा के गोद जाने का उल्लेख किया है। अतः तनकी नं. 6 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।' ऐसे में जब अधीनस्थ न्यायालय गोद संबंधी साक्ष्य नहीं मान रहा था तो उक्त तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय होनी थी परन्तु इसे वादी के खिलाफ निर्णित कर दिया जो निष्कर्ष पूर्णतया विरोधाभासी है। अपीलान्टस द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.04.2017 को अपास्त किया जाकर वादीगण का वाद चाहे गये अनुतोष अनुसार डिक्री फरमाया जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में लाला के नाम थी। लाला के चार पुत्र गोपाल, बद्री, भूरा व जगदीश थे। सभी भाई वादग्रस्त भूमि पर बराबर–बराबर काबिज काश्त रहे हैं। वादग्रस्त भूमि में लाला की सहमति से भूरा पुत्र लाला का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया था जबकि रिकॉर्ड में भूरा पुत्र भौमा दर्ज कर दिया गया। भूरा पुत्र भौमा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा जो जवाब दावा दिया गया है। उसमें भूरा को भौमा मी विरासत से भूमि प्राप्त होना कथन किया गया है तथा यह कथन किया गया है कि भौमा लाला का भाई था तथा उसने भूरा को गोद लिया था। जबकि वादग्रस्त भूमि कभी भौमा के नाम नहीं रही है। भूरा के स्वयं के बयानों में भी विरोधाभास है। प्रतिवादी संख्या 12 को बेचान दौराने वाद तथा दौराने स्थगन आदेश किया गया है जो लिसपेन्डेसी से बाधित है तथा विक्रय पत्र शून्य प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीवार निर्णय किया गया है। वह न्यायिक विवेक का उपयोग किये बगैर पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट वादी का वाद डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि जवाब दावा के मद नम्बर 9 में प्रतिवादी जगदीश द्वारा अंकित किया गया है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि पर नाजायज हक नहीं चाहता है क्योंकि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं की है। भूरा द्वारा हक त्याग लाला की भूमि में आये हिस्से पर किया गया है जिसका आशय यह है कि उसने

... विलोपित कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका दावे के मेरिट से कोई संबंध नहीं है तथा वादी ने कमरूदीन से राजीनामा करके अपने वाद के खिलाफ कार्यवाही की है। प्रार्थना पत्र में वर्णित 8 खसरा नंबरान की भूमि कभी लाला के नाम नहीं रही है। भूरा की ही जिरह में प्रदर्श 3 के बारे में कोई कथन नहीं किया गया है। भूरा से ही पूछे गये जिरह से यह सिद्ध होता है भूरा नाम का आदमी अस्तित्व में था। वादी गोपाल के बयानों से भी भौमा का अस्तित्व साबित होता है। भूरा द्वारा कमरूदीन के हक में करवाये गये विक्रय पत्र को खारिज करवाये जाने हेतु सक्षमं सिविल न्यायालय के समक्ष भूरा द्वारा दावा दायर किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीवार निर्णय किया गया है वह सही किया गया है। वादीगण द्वारा इस बात की स्वीकार्योक्ति की गई है कि भूरा भौमा का पुत्र है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा उक्त कथन कर अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

7– रिबटल में अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया कि भूरा पुत्र भौमा के रूप में कोई मान्यता उनके द्वारा नहीं दी गई है। तनकी नम्बर 6 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी अपीलान्ट ने पर था जिसे सिद्ध नहीं किया गया। विक्रय पत्र को निरस्त करने का दावा पश्चातवर्ती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे पर प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश के हस्ताक्षर ही नहीं है इसलिए इसकी ओर से जवाब दावा माना नहीं जा सकता है।

8– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण गोपाल व बद्री द्वारा वाद बाबत् घोषणा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के गलत नाम का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का नाम भूरा पुत्र भौमा दर्ज किया हुआ है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के मद नम्बर 2 में अंकित किया गया है कि वादीगण के पिता लाला ने वादग्रस्त भूमि में से 1/2 हिस्सा अपने पुत्र भूरा के नाम करवाया था जो इन्द्राज भूरा पुत्र लाला दर्ज ना होकर भूरा पुत्र भोमा दर्ज हो गया तथा उक्त इन्द्राज के समय भूरा नाबालिग था इसलिए यह भूमि स्वर्गीय लाला की ही सम्पत्ति है जिसमें उनके समस्त पुत्रों का समान हक है तथा भूरा पुत्र भौमा नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं है। वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि चारों भाईयों ने पिता की सहमति से बराबर–बराबर हिस्से में भूमि का बंटवारा कर रखा है तथा कब्जे काश्त को वाद पत्र में सलंग्न नजरी नक्शें में दर्शाया गया है। वाद पत्र के मद नम्बर 4 में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी नम्बर 1 को अपने नाम गलत इन्द्राज दर्ज होने की पूर्णतया जानकारी है तथा इसके द्वारा पिता के जीवनकाल तक भूमि में अकेले का हिस्सा होने संबंधी कोई बात नहीं कही है तथा कुछ भूमि इसके द्वारा विक्रय की गई है जिसकी विक्रय राशि का चारों भाईयो ने बराबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
टोंक

उपयोग किया था। प्रतिवादी नम्बर 1 ने सहमति पत्र दिनांक 24–6–1998 में लिखकर दिया था कि भूरा पुत्र भौमा से लगी मेरी भूमि में सब भाईयों का बराबर–बराबर हक तथा पिता के नाम की भूमि में हक सब भाईयों का बराबर हिस्सा है। वाद पत्र के मद नम्बर 5 में उल्लेख किया है कि दिनांक 17.03.2004 को वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात् प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज करवाने में टालमटोल करने लगा तथा मद नम्बर 6 में अंकित किया है भूरा पुत्र भौमा के नाम खसरा नम्बर 432, 419, 436 दर्ज 1/2 हिस्से का विक्रय प्रतिवादी नम्बर 10 को कर दिया तथा वादीगण को उनके हिस्से की राशि देने से मना कर दिया। वाद पत्र के मद नम्बर 7 में अंकित किया है कि प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने पिता लाला पुत्र श्योनारायण के दर्ज हिस्से से आने वाला हिस्सा 1/4 में से बडी मुश्किल से वादीगण व प्रतिवादीगण 2 के हक में दिनांक 30.11.2005 को हक त्याग किया गया तथा भूरा पुत्र भौमा के नाम दर्ज भूमि में से वादीगण के हक में रजिस्टरी कराने से मना कर दिया। वादीगण द्वारा उक्त कथन कर भूरा पुत्र भौमा के नाम दर्ज भूमि तथा लाला पुत्र श्योनारायण के नाम दर्ज भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 9.01.2007 को किया गया विक्रय पत्र शून्य प्रभावी घोषित करते हुए भूमि का तकासमा किये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा गया। प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 1 भूरा द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों को अस्वीकार किया गया एवं कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि में उनका हिस्सा भौमा की विरासत से आया है तथा भौमा द्वारा उसे गोद लिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर कुल 7 तनकियात कायम की गई तथा साक्ष्य सबुत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण के मुख्य विवाद बिन्दू यह है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता लाला के नाम दर्ज थी तथा उनके द्वारा सहमति से अपने पुत्र भूरा के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज करवाई थी परन्तु गलती से भूरा पुत्र भौमा दर्ज हो गया जबकि वह भूरा पुत्र लाला ही है एवं भौमा नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जमाबन्दी सम्वत 2013 से 2016 प्रदर्श 10 के रूप में उपलब्ध है। उक्त जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमि लाला व काला पिता श्योनारायण कौम माली के नाम से दर्ज है। पत्रावली पर प्रदर्श 11 एकीकरण विभाग द्वारा बनाई गई जमाबन्दी सम्वत 2017 उपलब्ध है जिसमें नोट अंकित किया हुआ है कि "लाला, काल्या ने बयान किया कि तमाम जगह 1/2 में हम रहेंगे व 1/2 में भूरा वल्द भौमा का हक है इसलिए 1/2 पर भूरा का नाम दर्ज कराया जावे। अतः दर्ज हो।" उक्त टिप्पणी के नीचे लाला व कालू के दस्तखत किये हुए है। उक्त इन्द्राज से स्पष्ट है कि एकीकरण के दौरान तत्समय के खातेदार लाला व काल्या द्वारा अपनी भूमि को 1/2 हिस्से पर सहमति के माध्यम से भूरा वल्द भौमा के नाम दर्ज करवाया गया है। उक्त इन्द्राज वादीगण के पिता

लाला द्वारा अकेले नहीं करवाया जाकर अन्य सह खातेदार काल्या द्वारा भी सहमति दिये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार वादीगण द्वारा किया गया यह कथन कि उनके पिता लाला द्वारा अपने पुत्र भूरा के हक में आधा हिस्सा वादग्रस्त भूमि में दर्ज करवाया गया था उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त लाला व काल्या द्वारा एकीकरण विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही को अपने जीवनपर्यन्त कोई चुनौती नही दी गई है। वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र सन 2006 में प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया है कि उनके पिता लाला द्वारा अपनी भूमि में से 1/2 हिस्सा अपने पुत्र भूरा के नाम करवाया गया था जो प्रदर्श 11 से उनका यह कथन असत्य साबित होता है क्योंकि उक्त इन्द्राज करवाये जाने में उनके पिता लाला के अलावा अन्य खातेदार काल्या की सहमति रही है। वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि भौमा नाम का कोई व्यक्ति उनके गांव में नहीं रहा है। जबकि इसके संबंध में उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा सहकारी किसान कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।उसमें भूरा पुत्र भौमा तथा दस्तावेजी प्रदर्श डी डब्ल्यू–1 निर्वाचक नामावली 1998 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें भूराराम पुत्र भौमाराम मतदाता के रूप में दर्ज है। वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य में उक्त दस्जावेजात के रिबटल में कोई दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वादी गोपाल द्वारा अपने बयान में सहमति पत्र सन 1998 में लिखा जाना कथन किया है तथा उक्त सहमति पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रदर्श 3 के रूप में उपलब्ध है। उक्त सहमति पत्र में भूरा पुत्र भौमा ही दर्ज किया हुआ है। वादी गोपाल ने अपने बयान की जिरह के दौरान कथन किया है कि "10–15 साल में समस्त रिकॉर्ड में भूरा पुत्र भौमा है पहले भूरा पुत्र लाला था। 15 साल पहले भूरा पुत्र लाला का रिकॉर्ड था। राशन कार्ड, वोटर लिस्ट मे। वोटर लिस्ट भौरा पुत्र लाला की मैने पेश नहीं की है।" इस प्रकार वादी द्वारा 10–15 साल पहले भूरा की वल्दियत लाला दर्ज होने का कथन तो किया है परन्तु कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है इसके विपरीत बीडब्ल्यू–1 के रूप में मतदाता सूची उपलब्ध है। जो सन् 1998 में भूरा पुत्र भौमा दर्ज होना साबित करती है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया सहमति पत्र भी भूरा पुत्र भौमा होना साबित करता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हक त्याग पत्र जो भूरा पुत्र लाला की तरफ से करवाया गया है उसके स्पष्ट है कि भूरा द्वारा अपने प्राकृतिक पिता की भूमि में अपने नाम दर्ज हुए हिस्से को अपने भाईयों के हक में हक त्याग किया गया है। उक्त दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी भूरा द्वारा अपने प्राकृतिक पिता लाला की भूमि में कोई हक नहीं रखा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि भौमा कौन था तथा उनका अस्तित्व था अथवा नहीं इसके संबंध में वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं इसके विपरीत एकीकरण के समय से ही वादग्रस्त भूमि भूरा पुत्र भौमा में नाम से दर्ज चली आ रही है अतः यह माने जाने का कोई आधार नहीं है कि भूरा पुत्र भौमा के नाम दर्ज भूमि में वादीगण का कोई हक हिस्सा रहा हो। वैसे भी एकीकरण के दौरान की गई कार्यवाही को किसी

न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। खासकर उन व्यक्तियों द्वारा जो एकीकरण के दौरान प्रभावित पक्षकार नहीं थे तथा एकीकरण के समय दर्ज खातेदारों द्वारा उक्त कार्यवाही को चुनौती नहीं दी गई हो। वादीगण द्वारा यह वादी एकीकरण के लगभग 45 वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है जो कि एक असाधारण विलम्ब है एवं वादीगण के कथनों को कमजोर साबित करता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीवार विवेचन किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर वादीगण का वाद खारिज किया गया है उसमें विधि की कोई सारभूत त्रुटि कारित किया जाना नहीं पाया जाता है तथा उक्त निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपर्युक्त विवेचन से अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

9— अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24—04—2017 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

10— निर्णय आज दिनांक 14—05—2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर